न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—170/2011/223 (2011/00056)

1. भंवरलाल दत्तक पुत्र श्रीमती फूंला पुत्री स्वर्गीय रामनारायण बेवा कल्याणमल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती फूंला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नि कल्याणमल,
2. पूनम पुत्र स्व0 तेजमल (फौत) जरिये वारिसानः—
   2/1— रामकन्या पत्नि पूनम,
   2/2— अशोक कुमार पुत्र पूनम,
   2/3— सीताराम पुत्र पूनम,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, नि0 ग्रांम फरासिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. रमेशचंद पुत्र तेजमल,
4. श्रीमती गीतादेवी पुत्री स्व0 तेजमल पत्नि सोम,
5. श्रीमती रामनाथी पत्नि स्व0 रामप्रसाद,
6. धनराज पुत्र स्व0 रामप्रसाद,
   समस्त जाति ब्रहमण, निवासी ग्राम फरासिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
7. लादूराम पुत्र गंगाराम,
8. प्रभूदयाल पुत्र गंगाराम,
   जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम देवलिया पोस्ट बगरू, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. हरिप्रसाद पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी डाक बंगले के पीछे, आजाद नगर, मदनगंज—किशनगढ़, अजमेर ।
10. रतनलाल पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहम्ण, नि0 फरासिया की ढाणी, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।
11. मदनलाल पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी केयर ऑफ कन्हैयालाल कुमावत का मकान, डाक बंगले के पीछे, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
12. श्रीमती मनभर पुत्री हीरालाल पत्नि भंवरलाल बापलावता, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम देवलिया पोस्ट बगरू, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर ।
13. श्रीमती नन्दू पुत्री हीरालाल पत्नि घनश्याम पंचोली, जाति ब्राहमण, नि0 मीणा का बास पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
14. श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नि देवीनारायण दूत, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम देवलिया पोस्ट बगरू, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर ।
15. लक्ष्मीनारायणउ पुत्र रामचंद्र, जाति ब्राहमण, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
16. श्रीमती प्रेमलता पत्नि ताराचंद गंगवाल,
17. ताराचंद पुत्र स्व0 कपूरचंद,
18. प्रवीण कुमार पुत्र ताराचंद गंगवाल,
19. संजय कुमार पुत्र ताराचंद गंगवाल,

20. राजीव गंगवाल पुत्र ताराचंद गंगवाल,
21. श्रीमती विभा गंगवाल पत्नि प्रवीण कुमार गंगवाल,
22. श्रीमती रंजू गंगवाल पत्नि संजय गंगवाल,
23. श्रीमती रिषिका गंगवाल पत्नि राजीव गंगवाल,
    समस्त जाति जैन, निवासी प्रेमतारा बालाजी की बगीची के पीछे, रूपनगढ़ रोड़ मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर ।
24. उप पंजीयक, किशनगढ़ ।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 24.5.2011 अंतर्गत वाद संख्या 40/2011.

उपस्थितः–

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6, 10 व 15 .
3. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 16 से 23.
4. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 6.
5. रेस्पो0 संख्या 7, 9, 9 व 11 से 14 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 23.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.5.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि वादी व प्रवितादी संख्या 7 से 13 के नाना व प्रतिवादी संख्या 1 व 14 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के परदादा स्व0 रामनारायण व प्रतिवादी संख्या 15 के पिता स्व0 रामचंद्र के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम फरासिया में खसरा नंबर 22/1 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा, खरा नंबर 22/207 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नंबर 108 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 84 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पास जन्म से निवास कर रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पति कल्याणमल उर्फ कल्ला (वादी के दत्तक पिता) ने ही वादी को बचपन से ही गोद पुत्र के समान पालन पोषण किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कोई जायंदा संतान उत्पन्न नहीं हुई थी । वादी के दत्तक पिता कल्याणमल ने अपने जीवनकाल में विधि के प्रावधान अनुसार गोदनामा प्रतिवादी संख्या 24 के समक्ष पंजीकृत नहीं करवा पाये तथा उनका देहावसान हो गया । प्रतिवादी संख्या 1 ने स्व0 कल्याणमल के देहावसान के बाद उनकी भावना के अनुरूप बाहरवें के दिन जाति रिवाज के अनुसार वादी को गोद लिये जाने की रस्म पूर्ण की ओर गोदनामा दिनांक 26.6.1979 को प्रतिवादी संख्या 24 के समक्ष

पंजीकृत करवा दिया । वादी अपने नाना रामनारायण के जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 के गोद आ गया था तथा विधि के प्रावधान अनुसार बाद में दिनांक 26.6.1979 को गोदनामा पंजीकृत करवाया था । वादग्रस्त भूमि वादी के नाना रामनारायण की स्वअर्जित कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें उसके समस्त विधिक वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्सा व अधिकार कानूनन बनता है । अर्थात् रामनारायण के देहावसान के बाद उनके हिस्से की 1/2 भूमि का विरासत का नामांतकरण नियमानुसार विधिक वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किया जाना चाहिये था । स्व0 रामनारायण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में उनके पुत्र तेजमल व 4 पुत्रियों क्रमशः गंगा, छोटी, फूला व पार्वती प्रत्येक का 1/10 हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 6 के दादा तेजमल ने गोपनीय रूप से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उप–सरपंच ग्राम सांवतसर से मिलीभगत करके रामनारायण के अन्य वारिसानों के विधिक अधिकारों को वंचित करते हुए विरासत नामांतकरण संख्या 52 दिनांक 12.4.1970 को अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया जो प्रारंभ से शून्य है तत्पश्चात् तेजपाल के देहावसान के बाद उसके विधिक वारिसान संख्या 2 से 6 के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 177 दिनांक 31.7.2004 भी शून्य है । उक्त नामांतकरणों को शून्य व प्रभावहीन घोषित कराने का वादी कानूनन अधिकारी है । चूंकि वादी की माता श्रीमती फूला का तथा वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/20, 1/20 हिस्सा बनता है । वादी अपने नाना के जीवनकाल मे ंही प्रतिवादी संख्या 1 के गोद आ गया था । इस कारण वादी अपने नाना की स्वअर्जित सम्पति में स्वत्व व अधिकार कानूनन उत्पन्न हो गया था । इस कारण वादी को 1/20 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त सम्पति में स्व0 रामनारायण के पुत्र तेजमल का केवल 1/10 हिस्सा बनता है किन्तु उन्होंने विधि विरूद्ध रामनारायण के संपूर्ण 1/2 हिस्सा का नामांतकरण स्वीकृत करा लिया तथा बाद में तेजमल के देहावसान के बाद उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने विरासत का नामांतकरण अपने पक्ष में दर्ज करवाकर उसका अनुचित लाभ उठाकर खसरा नंबर 22/1 व 22/207 की 38 बीघा 10 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 से 20 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया उक्त विक्रय पत्र वादी के 1/20 हिस्सा तक शून्य व प्रभावहीन है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 तेजमल के कुल 1/10 हिस्सा भूमि तक ही विक्रय करने के अधिकारी थे । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 16 से 20 के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 181 दिनांक 20.9.2004 भी वादी के अधिकारों के प्रति शून्य व प्रभावहीन है । प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विरासत नामांतकरण संख्या 177 दिनांक 31.7.2004 की आड़ में वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 61 व 108 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 हिस्से का विक्रय करने लिए प्रयासरत है । इस कारण प्रतिवादीगण को विक्रय नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/20 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर भूमि का बंटवारा किया जाकर वादी के 1/20 हिस्से वें हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 से 6 तथा 7 से 20 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 6 के दादा स्व0 तेजमल के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 52 दिनांक 12.4.1970 को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 16

से 23 की ओर से दिनांक 21.3.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी ने कथन किया कि वादी ने स्वंय को कल्याणमल का दत्तक पुत्र बताकर कल्याणमल के ससुर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामनारायण को स्वंय का दोहिता बताकर अधिकार खातेदारी का वाद संस्थित किया है जबकि वादी की माता फूला जीवित है इस कारण वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं होता है तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 23 ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है उक्त विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहते हुए वादी का वाद राज0काश्त0अधि0 के तहत विधि वर्जित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 24.5.2011 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 16 से 20 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 16 से 23 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर वाद को खारिज करने मं कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 23 द्वारा प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के वैधानिक घटक मौजूद नहीं थे । अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों को पेज संख्या 6 में उक्त प्रावधानों को अंकित भी किया है कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 किन प्रावधानों के तहत वाद खारिज किया जा सकता है लेकिन अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि कौन से प्रावधानों के तहत उनका वाद चलने योग्य नहीं है । प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में जो आधार लिये है उक्त सभी आधार उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में लिए हुए है तथा जब प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है तो दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जानी चाहिये थी तथा साक्ष्य उपरांत ही वाद को निर्णित किया जा सकता है लेकिन अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/वादी ने खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 23 के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया है जो उसे निरस्त करवाने बाबत् कोई दादरसी नहीं चाही है । उनका वाद केवल खातेदारी घोषणा बाबत् है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है इसके बावजूद विक्रय विलेख के प्रभाव में रहते हुए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होना मानकर वाद खारिज कर अधी0न्याया0 ने विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्री के जीवित रहते दोहितें को किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो सकते है एवं किस प्रकार उसे वाद कारण उत्पन्न होगा, को आधार मानकर वाद को खारिज किया है, जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था । वादी का वाद किस प्रकार विधि वर्जित है इस संबंध में अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय को कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है ।

अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष की अगर साक्ष्य भी ली जाती है तो उन प्रावधानों के तहत उनके क्या अधिकार होगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इस आधार पर वाद खारिज किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में नहीं आते है । अधी0न्याया0 के समक्ष अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी जवाब प्रस्तुत हो चुका था । जब प्रार्थना पत्र में लिए गये आधार जब जवाबदावे में लिए जा चुके थे तो ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के घटक उत्पन्न नहीं है तो वाद को विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णित किया जाना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जाकर वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लिये जाने के उपरांत वाद को निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 230, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 230, 62, आर0बी0जे0 2001 (8) पेज 285, आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 244, आर0बी0जे0 2009 (16) पेज 439, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 320, 174, आर0आर0टी0 2018–19 सप्लीमेंन्ट्री पेज 272, आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 617, आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 256, आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 116, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1336, आर0बी0जे0 1998 (5) पेज 200, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 230, 62, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1141, आर0बी0जे0 2003 (10) पेज 158, डी0एन0जे0 2012 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 683, डी0एन0जे0 2010 (राज0) पेज 1283, 221, डी0एन0जे0 2012 (1) राज0 पेज 1569, डी0एन0जे0 2013 (3) राज0 पेज 1219, डी0एन0जे0 2012 (1) राज0 पेज 62, डी0एन0जे0 2012 (3) पेज 1407, डी0एन0जे0 2013 (2) पेज 552, डी0एन0जे0 2013 (3) राज0 पेज 1112, डी0एन0जे0 2012 (2) राज0 पेज 806, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 479, आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 835, डी0एन0जेव0 2010 (3) राज0 पेज 1283, डी0एन0जे0 2006 (1) राज0 पेज 88, डी0एन0जे0 2005 (3) पेज 1523, आर0बी0जे0 2013 (20) पेज 159, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 254, डी0एन0जे0 2019 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 418 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 एवं 10 व 15 ने बहस में रेस्पो0 संख्या 16 से 23 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 को विक्रय कर कब्जा काश्त संभला दिया है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 काबिज है । अपीलांट/वादी को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही वादी को वादकारण उत्पन्न होता है । वादी फूला के जीवनकाल में विवादित आराजियात में किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 16 से 23 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट ने स्वंय कल्याणमल का दत्तक पुत्र बताकर कल्याणमल के ससुर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का स्वंय को दोहिता बताकर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि खातेदार रामनाराण की पुत्री श्रीमती फूला जीवित है जिससे वादी को माता फूला के जीवित रहते कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 ने

विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खातेदारों से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों के अस्तित्व में रहते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 16 से 23 ने बहस में आगे कथन किया कि वादी ने विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में एक वाद पेश किया था जिसमें स्वंय को हीरालाल का पुत्र बताया है एवं वर्तमान वाद में स्वंय को कल्याणमल का दत्तक पुत्र बताया है । इस प्रकार वादी ने तथ्य छिपाकर वाद पेश किया है जिससे भी वादी का वाद संधारण योग्य नहीं है । हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार दोहिता नाना की सम्पति में माता के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं करता है । हस्तगत प्रकरण में धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत सहदायिगा में पुत्रियां हकदार नही है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारहीन प्रकरण को प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है । इस संबंध में एस0ए0आर0 2005 पेज 604 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की है । राज0काश्त0अधि0 के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार शून्यकरणीय विक्रय पत्रों को जब तक सिविल न्यायाय से निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2010 पेज 124 का दृष्टांत पेश किया । वादी ने प्रतिवादी संख्या 16 से 23 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त नहीं कराया है इसलिये वादी को वादग्रस्त आराजियात बाबत् कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में आदेश 7 नियम 11–ए जा0दी0 तथा वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11–बी के प्रावधान प्रभावी होते है । उक्त प्रावधानों के तहत वादी का वाद अवधारणीय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2008 डब्ल्यू0एल0सी0 (3) पेज 534 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सारहीन वाद यदि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो उन्हें धारा 151 में भी निरस्त किया जा सकता है । वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । इसलिये वाद में साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है । हस्तगत प्रकरण में वादी ने स्वंय को कल्याणमल का दत्तक पुत्र होना बताया है तथा उसकी दत्तक माता फूला जीवित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत उपरोक्त कारणों से वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादीगण संख्या 16 से 23 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 16 से 23 ने अपने कथनों के समर्थन में एस0ए0आर0 2018 (सिविल सप्लीमेंट्री–2) पेज 700, ए0आई0आर0 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1153, ए0आई0आर0 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 1944, आर0बी0जे0 2003 पेज 73, एस0ए0आर0 2004 (सिविल) पेज 228 एवं एस0ए0आर0 1998 (सिविल) पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रतिवादी संख्या 1 फूलां पत्नी कल्याणमल के दत्तक पुत्र की हैसियत से पेश कर मृतक खातेदार रामनारायण की सम्पति में स्वंय के उत्तराधिकार का क्लेम किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 16 से 20 ने जवाब के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा कथन किया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 16 से 23 बाबत् खसरा नंबर 22/1 व 22/207 बाबत् वाद

कारण नहीं दर्शाया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुत्री के जीवित रहते दोहिते को नाना की सम्पति में हिस्सा नहीं मिलता है तथा विवादित आराजी में से खसरा नंबर 22/1 व 22/207 उन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है इस कारण उन्हें निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है । वादी का वाद वाद कारण के अभाव में विधि वर्जित होने से निरस्तनीय है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने वर्ष 2007 में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अन्य प्रकरण संख्या 92/2007 भंवरलाल बनाम हरी में स्वंय को हीरालाल का पुत्र बताकर वाद संस्थित किया था। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में भी स्वंय की वल्दियत हीरालाल अंकित की है तो अब अपीलांट किस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती फूला पत्नि कल्याणमल का दत्तक पुत्र हो सकता है । यह भी विचारणीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्री के जीवित रहते हुए दोहिता किस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है ? इस तथ्य को साबित करने में वादी/अपीलांट पूर्णतया असफल रहा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूचि 1 के अनुसार दोहितें को अपनी माता के जीवनकाल में नाना की सम्पति बाबत् उत्तराधिकार नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 16 से 23 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख किस प्रकार शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते है । नामांतकरण संख्या 52 दिनांक 12.4.1970 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया है । रामनारायण की सहदायिगी में एकमात्र तेजमल पुरूष संतान होने से उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था । तेजमल के देहांत के बाद उसे वारिस विवातिद आराजियात पर काबिज हो गये जिन्होंने वाद अधीन भूमि में से खसरा संख्या 22/1 व 22/207 में स्वंय का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण को वाद संस्थित होने से पूर्व विक्रय किया है । उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना भी वादी/अपीलांट किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त विक्रय विलेख किस प्रकार शून्य है । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि कल्याणमल का दत्तक पुत्र नहीं होने से तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्री के जीवनकाल में दोहिते को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने से वादी/अपीलांट को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत 2005 एस0ए0आर0 2005 पेज 604 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **" Plaint is meritless-Not dislosing a clear reject to sue the court must nip it in the bud at the firs hearing by examining the party under Order 10 C.P.C. An activist judge is the answer no irresponsible Law suits such suits should be shut down at the earliest stage and penal Code way also be restored it. "** इस प्रकार सारहीन वादों को प्रथम स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिये । वादी/अपीलांट का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद विधिवर्जित होने के कारण विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 16 से 23 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.5.2011 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर